

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA  
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPTT. OF OFFICIAL LANGUAGE  
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान  
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

कार्यालय ज्ञापन

08/10/2025


**विषय:-** हिंदी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर प्रोत्साहन-वैयक्तिक वेतन प्रदान करने संबंधी आदेशों को समेकित किया जाना।

उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग के दिनांक 1 अक्तूबर, 2025 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-21034/08/2017-रा.भा.(प्रशि.) की छाया प्रति आपको भेजी जा रही है।

इस संबंध में कृपया अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें और सभी संबंधित अधिकारियों को भी तदनुसार सूचित करें।

आपसे यह भी अनुरोध है कि अपने-अपने क्षेत्रों में सभी कार्यालयों/सभी नराकासों में इन आदेशों का बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार करें, जिससे उन कार्यालयों में कार्यरत राजपत्रित/अराजपत्रित आशुलिपिक हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रेरित/प्रोत्साहित हों।

यह ज्ञापन दिनांक 01-10-2025 को तथा इसके बाद आयोजित/जारी होने वाले परीक्षा परिणामों पर लागू होगा।

  
(ले. कर्नल रामनरेश शर्मा)  
निदेशक

**संलग्न: यथोपरि**

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-**

1. उप निदेशक/ सहायक निदेशक (भाषा) एवं कार्यालयाध्यक्ष, हिंदी शिक्षण योजना (पूर्व/पश्चिम/पूर्वोत्तर/दक्षिण/मध्योत्तर/परीक्षा), कोलकाता/नवी मुंबई/गुवाहाटी/चेन्नई/नई दिल्ली।
2. उप निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर/दक्षिण-पश्चिम/पूर्व-पूर्वोत्तर), नई दिल्ली/नवी मुंबई/कोलकाता।
3. सभी सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना को इस निदेश के साथ कि वे फरवरी, 2025 में आरंभ होने वाले प्रशिक्षण सत्र हेतु जारी किए जाने वाले परिपत्रों में इन संशोधनों का समावेश करें और संपर्क कार्यों के दौरान अपने-अपने नगरों में बड़े पैमाने पर इन आदेशों का प्रचार-प्रसार करते हुए हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त संख्या में नामांकन प्राप्त करें।
4. सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, (मुख्यालय) नई दिल्ली।
5. सहायक निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली को इस निदेश के साथ कि उक्त कार्यालय ज्ञापन की प्रति केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाएं।

फा.सं0 21034/08/2017-राभा(प्रशि)

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
राजभाषा विभाग



नई दिल्ली सिटी सेंटर-2 बिल्डिंग,  
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-1  
दिनांक: 06.10.2025

कार्यालय जापन


विषय:- हिंदी, हिंदी टाइपिंग और हिंदी आशुलिपि की परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन  
वैयक्तिक वेतन संबंधी आदेशों की समेकित किया जाना ।

उपरोक्त विषय पर राजभाषा विभाग के दिनांक 24 जुलाई 2017 के कार्यालय जापन  
संख्या 21034/08/2017-राभा (प्रशि.) के पैरा 1(5) (क) एवं (ख) के मौजूदा प्रावधानों को  
तत्काल प्रभाव से निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है:-

'हिंदी शिक्षण योजना के तहत आयोजित होने वाली हिंदी आशुलिपिक परीक्षा में  
अराजपत्रित एवं राजपत्रित दोनों वर्ग के आशुलिपिक 50% या अधिक अंक प्राप्त करने पर  
वैयक्तिक वेतन पाने के हकदार होंगे।'

लेकिन जिन कर्मचारियों ने पहले ही आशुलिपि की परीक्षा पास की है अथवा जिसके लिए  
हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, उन्हें हिंदी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर  
वैयक्तिक वेतन नहीं दिया जाएगा ।

2. राजभाषा विभाग के कार्यालय जापन दिनांक 02 सितंबर 1976 की अन्य शर्तें यथावत  
रहेंगी ।
3. यह कार्यालय जापन-सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से जारी किया जाता है ।

  
06/10/2025  
( मौसमी तिकी )


अवर सचिव, भारत सरकार  
दिनांक:

फा.सं0 21034/08/2017-राभा(प्रशि)

प्रतिलिपि:-

1. केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. राष्ट्रपति सचिवालय ।
3. उप राष्ट्रपति सचिवालय,
4. प्रधानमंत्री कार्यालय ।
5. मंत्रीमंडल सचिवालय
6. भारत का निर्वाचन आयोग ।
7. लोकसभा/राज्यसभा सचिवालय
8. संघ लोक सेवा आयोग ।

  
06/10/25

  
06/10/25

9. केंद्रीय सतर्कता आयोग ।
10. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ।
11. गृह मंत्रालय (मुख्यालय)/न्याय विभाग/जम्मू एवं कश्मीर कार्य विभाग तथा राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग ।
12. गृह मंत्रालय के सभी काडर यूनिट ।
13. निदेशक (नीति/तकनीकी/कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ।
14. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
15. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली ।
16. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. राजभाषा विभाग ।
17. गार्ड फाइल।
18. अतिरिक्त प्रतियां 25

मौसमी  
01/10/2025

( मौसमी तिकी )  
अवर सचिव, भारत सरकार